...हुए। आज बार एसो. व काम
स्थगित कर रखा है। P.O.साहब ...अस्वस्थ...
है। बकायदा दिनांक 15/1/26 को पेश हो।

पीठा

15/1/26	वकील अपीलार्थी उपस्थित। पत्रावली पर बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 29/1/26 को पेश हो। SDO
29/1/26	... P.O. साहब अवकाश पर ... बकायदा दिनांक 30/1/26 को पेश हो।
30/1/26	वकील अपीलार्थी ...उपस्थित ... दिनांक ... की पत्रावली में ... आदेश दिनांक ...3/2/26 ... पेश हो। ...
3/2/26	वकील अपीलार्थी उपस्थित। अपील अपील स्वीकार कर तहसीलदार को रिमाण्ड की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। इस आदेश की प्रति तहसीलदार को भेजी जावे। पत्रावली बाद तामील दाखिल दफ्तर की जावे। SDO

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर, अलवर

पीठासीन अधिकारी–श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर0ए0एस)

प्रकरण संख्या–12/06/2025

जीसीएमएस–2025/76

दायर दिनांक–21/03/2025

निर्णय दिनांक–03/02/2026

1. लक्ष्मण पुत्र हरचन्द जाति माली निवासी गारू तहसील कठूमर जिला अलवर।

......अपीलाण्ट

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत गारू पंचायत संमिति कठूमर जिला अलवर।
2. मकोल पत्नी रूपसिंह जाति प्रजापत निवासी गारू तह0 कठूमर
3. हरीचन्द पुत्र करणसिह जाति प्रजापत निवासी गारू तह0 कठूमर
4. सुनील पुत्र करणसिंह जाति प्रजापत निवासी गारू तह0 कठूमर
5. अनिल पुत्र करणसिंह जाति प्रजापत निवासी गारू तह0 कठूमर
6. मनीष पुत्र करणसिंह जाति प्रजापत निवासी गारू तह0 कठूमर जिला अलवर।

..... असल रेस्पोडेंण्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 05.05.2010 विरासत इन्तकाल संख्या 2229 ग्राम गारू ग्राम पंचायत गारू अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति–1.श्री फत्तेहसिंह सैनी– अधिवक्ता अपीलाण्ट

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में अपील विवरण इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी खसरानम्बर 1345 वाके ग्राम गारू ग्राम पंचायत गारू तहसील कठूमर में स्थित है,जो अपीलान्ट मुताबिक जमाबन्दी को 1/3 का 9/10 हिस्सा व खसरा नम्बर 1343 का 13/81 हिस्सा वाके गारू रेस्पो0 संख्या 2 के हक में 1/5 हिस्से का व रेस्पों0 संख्या 3 ला0 6 के हक में 1/5 हिस्से का व रेस्पोडेण्ट संख्या 3 ला 06 के हकअपीलाण्ट केहिस्से की कब्जे काश्त 4/5 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 28.04.2010 को बेचान किया था जिसका बयनामा उप पंजीयक कठूमर के कार्यालय में दिनांक 28.04.2010 को रजिस्टर्ड करा दिया था तथा अपीलाण्ट में मुजाबिक रजिस्टर्ड बयनामा के रेस्पो0 संख्या 2 ला0 6 को कब्जा करा दिया। वाद खरीद से उक्त आराजी पर रेस्पो0 संख्या 2 ला06 काबित काश्त करते चले आ रहे है पटवारी हल्का ने उक्त रजिस्टर्ड बयनामा का इन्तकाल दर्ज किया जो आराजी खसरा नम्बर 1345 के 1/3 के 9/10 हिस्सा के सीान पर पूरे हिस्सा 1/3 का दर्ज कर दिया जिस इन्तकाल को पटवारी हल्का ने रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के समक्ष निर्णय करेन हेतु प्रस्तुत किया जिस इन्तकाल को रेस्पों0 सख्या 1 ने अपीलाण्ट को विना ने

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0

अपीलाण्ट के हिस्से की जॉच किये बिना ही बिना अपीलाण्ट को बिना बुलाये बिना सुने विधि विरूद्व तरीके से इन्तकाल संख्या 2229 वाके ग्राम गारू तस्दीक किया है, जो विधि विरूद्व तरीके से तस्दीक होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट को उक्त इन्तकाल संख्या 2229 के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 10.03.2025 को पटवारी हल्का के पास जाने तथा रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर हुई, जिस पर अपीलाण्ट ने इन्तकाल संख्या 2229 की नकल प्राप्त कर बिना देरी किये अपील पेश की है। आदेश दिनांक 05.05.2010 से दिनांक 10.03.2025 तक की देरी कण्डोन किये जाने का उचित कारण है जिस देरी को कण्डोन करने के लिये अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पत्रावली के साथ पेश किया गया है विवादित इन्तकाल ग्राम पंचायत की मीटिंग बुलाये बिना तथा प्रोसिडिंग रजिस्टर में दर्ज किये बिना एवं अपीलांट्स को बिना सुने बिना बुलाये तस्दीक किये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट पेश कर इन्तकाल संख्या 2229 दिनांक 05.05.2010 वाके गारू ग्राम पंचायत गारू तहसील कठूमर, अलवर निरस्त करने का निवेदन किया है।

अपीलाण्ट को उक्त दोषपूर्ण इन्तकाल संख्या 2229 के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 05.05.2010 को पटवारी हल्का के पास प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि फार्म पर पटवारी हल्का के हस्ताक्षर कराने गया तब पटवारी हल्का ने राजस्व रेकॉर्ड देखने के दौरान एवं रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर हुई, जिस पर अपीलाण्ट ने इन्तकाल संख्या 2229 की नकल प्राप्त कर बिना देरी किये अपील पेश की है। ऐसे मामलों में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा देरी में नरमी का रूख अपनाया है। हस्तगत प्रकरण में अपील में देरी के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

प्रकरण में दफा 5 स्वीकार होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेंट दिनांक 12.05.2025 को वाबजूद रजिस्टर्ड डाक सूचना के अनुपस्थित आये जिनकी अनुपस्थिति दर्ज की गई। अपीलाण्टस के द्वारा अपने पत्रावली के साथ नकल इन्तकाल संख्या 2229 वाके ग्राम गारू व फॉटो प्रति बयनामा की पेश किये है जो शामिल पत्रावली किये गये है।

अपीलाण्टस अभिभाषक की अपील पर बहस सुनी गयी। सर्वप्रथम हमें उक्त इन्तकाल संख्या 2229 के बारे में जानकारी दिनांक 10.03.2025 को पटवारी हल्का के पास जाने तथा रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर हुई जिस पर अपीलाण्ट ने इन्तकाल संख्या 2229 की नकल प्राप्त कर बिना देरी किये अपील पेश की है। अधिवक्ता अपीलाण्ट नें अपनी बहस में अपील के तथ्यों को ही दोहराते हुए निवेदन किया अपीलान्ट मुताबिक जमाबन्दी को 1/3 का 9/10 हिस्सा व खसरा नम्बर 1343 का 13/81 हिस्सा वाके गारू रेस्पो0 संख्या 2 के हक में 1/5 हिस्से का व रेस्पों0 संख्या 3 ला0 6 के हक में 1/5 हिस्से का व रेस्पोडेण्ट संख्या 3 ला 06 के हकअपीलाण्ट केहिस्से की कब्जे काश्त 4/5 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 28.04.2010 को बेचान किया था जिसका बयनामा उप पंजीयक कठूमर के कार्यालय में दिनांक 28.04.2010 को रजिस्टर्ड करा दिया था तथा अपीलाण्ट में मुजाबिक रजिस्टर्ड बयनामा के रेस्पो0 संख्या 2 ला0 6 को कब्जा करा दिया। वाद खरीद से उक्त आराजी पर रेस्पो0 संख्या 2 ला06 कावित काश्त करते चले आ रहे है पटवारी हल्का ने उक्त रजिस्टर्ड बयनामा का इन्तकाल दर्ज किया जो आराजी खसरा नम्बर 1345 के 1/3 के 9/10 हिस्सा के सीान पर पूरे हिस्सा 1/3 का दर्ज कर दिया जिस इन्तकाल को पटवारी हल्का ने रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के समक्ष निर्णय

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

करेन हेतु प्रस्तुत किया जिस इन्तकाल को रेस्पों0 सख्या 1 ने अपीलाण्ट को विना ने अपीलाण्ट के हिस्से की जॉच किये बिना ही बिना अपीलाण्ट को बिना बुलाये बिना सुने विधि विरूद्व तरीके से इन्तकाल संख्या 2229 वाके ग्राम गारू तस्दीक किया है, जो विधि विरूद्व तरीके से तस्दीक होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट को उक्त इन्तकाल संख्या 2229 के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 10.03.2025 को पटवारी हल्का के पास जाने तथा रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर हुई, जिस पर अपीलाण्ट ने इन्तकाल संख्या 2229 की नकल प्राप्त कर बिना देरी किये अपील पेश की है। आदेश दिनांक 05.05.2010 से दिनांक 10.03.2025 तक की देरी कण्डोन किये जाने का उचित कारण है जिस देरी को कण्डोन करने के लिये अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पत्रावली के साथ पेश किया गया है विवादित इन्तकाल ग्राम पंचायत की मीटिंग बुलाये बिना तथा प्रोसिडिंग रजिस्टर में दर्ज किये बिना एवं अपीलांट्स को बिना सुने बिना बुलाये तस्दीक किये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट पेश कर इन्तकाल संख्या 2229 दिनांक 05.05.2010 वाके गारू ग्राम पंचायत गारू तहसील कठूमर, अलवर निरस्त करने का निवेदन किया है।

हमने अपीलाण्टस अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अपीलाण्ट अधिवक्ता बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व दस्तावेजात के आधार पर इन्तकाल संख्या 2229 दिनांक 05.05.2010 वाके गारू ग्राम पंचायत गारू तहसील कठूमर, अलवर निरस्त किये जाने एवं अपीलाण्टस द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होती है।

–::आदेश::–

अतः अपीलाण्ट अधिवक्ता बहस, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत गारू स्वीकृत इंतकाल संख्या 2229 दिनांक 05.05.2010 वाके ग्राम गारू ग्राम पंचायत गारू को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार कठूमर को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है कि वह नियमानुसार पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर अलवर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज.